संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक / 4276 / नग्रानि / सा. / 2019 भोपाल, दिनांक 23-7-19

प्रति,

आयुक्त
जनसंपर्क कार्यालय
म. प्र. भोपाल।

विषय :– विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।

–0–

कृपया संलग्न विज्ञप्ति भोपाल से प्रकाशित होने वाले एक राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में एवं दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित कर विज्ञप्ति की प्रति इस संचालनालय को अभिलेखार्थ भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सी.के.साधव)
संयुक्त संचालक (स्था.)
वास्ते– संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

भोपाल दिनांक

क्रमांक / / नग्रानि/सामान्य 2019

शासकीय अनुपयोगी 02 वाहनों के विक्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित

क्रमांक	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल	स्थान जहाँ वाहन उपलब्ध है	आफसेट प्राईज	धरोहर राशि
1	**MP-02 3146**	मारूति वेन	1997	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल,मध्यप्रदेश	25000	5000
2	**MP-02 6613**	मारूति 800	2002		25000	5000

अनुपायोगी वाहनों का अवलोकन कार्यालय दिवसों में विज्ञापन प्रकाशित से समय 11:00 बजे से 04.00 बजे अपरान्ह तक संचालनालय भवन में किया जा सकता है। प्रत्येक वाहन हेतु निविदा फार्म एवं निविदा शर्तों का प्रपत्र संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल के सामान्य कक्ष से निर्धारित मूल्य रूपये 500/– (शब्दों में रूपये पांच सौ मात्र) में क्रय कर दिनांक 3 अगस्त 2019 को अपरान्ह 01.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकेगा। निविदाएं संचालनालय में सामान्य कक्ष में दिनांक 03 अगस्त 2019 को अपरान्ह 02:00 बजे तक निविदा बाक्स में अमानत राशि रूपये 5000/– बैंक ड्राफ्ट के साथ प्राप्त की जावेगी। निविदायें यथा संभव उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश के सभा कक्ष में खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त/खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी। निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश को होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संचालनालय की वेबसाईट **www.mptownplan.gov.in** पर भी देखी जा सकती है ।

(सी.के.साधव)
संयुक्त संचालक (स्था.)
वास्ते– संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल म.प्र.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक. . . .

// निविदा फार्म //

प्रति,

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्य प्रदेश, भोपाल

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी. . . . . टेण्डरकर्ता संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा दिनांक . . . . को विक्रय होने वाली वाहन के लिये टेण्डर प्रस्तुत करता/करती हूँ विवरण इस प्रकार है :-

1	आवेदक का नाम	. . . .
2	पिता/पति का नाम	. . . .
3	अस्थाई पता	. . . .
4	स्थाई पता	. . . .
5	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	. . . .
6	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके लिये टेण्डर भरा गया है	. . . .
7	वाहन का प्रकार/मॉडल	. . . .
8	निविदा राशि (क) अंको में (ख) शब्दो में	. . . .
9	धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) का विवरण (क) बैंक ड्राफ्ट नंबर दिनांक (ख) संबंधित बैंक का नाम जहाँ से जारी हुआ है	. . . .

मैंने इस टेण्डर फार्म के पीछे दशार्य गये संपूर्ण नियम तथा निविदा शर्तों का विवेकपूर्ण अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे स्वीकार है, तथा स्वीकारीक्ति के परिपेक्ष्य में ही मैंने हस्ताक्षर किये हैं ।

टेण्डरकर्ता के हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तों का उल्लेख एवं प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि :-

1. टेण्डर फार्म पर किये गये हस्ताक्षर मेरे स्वयं के हैं ।
2. टेण्डर फार्म पर दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी गलत जानकारी के लिये मैं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
3. नीलामी में यदि मेरा टेण्डर स्वीकृत हुआ तो सूचना के 07 दिन के अन्दर स्वीकृत टेण्डर की रकम का पूरा भुगतान करूंगा/करूंगी तथा वाहन को 03 दिवस में ना ट्रांसफर करवाने के पश्चात अपने कब्जे में लूंगा/लूंगी।
4. सूचना के 07 दिन के अन्दर टेण्डर की पूरी रकम (राशि) यदि मै जमा नहीं करता/करती हूँ तो मेरी धरोहर राशि राजसात कर ली जावे ।
5. विक्रय के संबंध में कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय मेरे लिये सर्वोपरि होगा, तथा उसे मैं स्वीकार करूंगा/करूंगी।
6. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत रहेगा, यह मुझे स्वीकार है।
7. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश से वाहन डिलेवरी लेने के पश्चात संचालनालय परिसर से बाहर यदि कोई घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी।

टेण्डरकर्ता के हस्ताक्षर

निविदा संबंधी शर्ते

1. निविदा संबंधी फार्म प्रकाशन दिनांक से अपरान्ह 01.00 बजे तक कार्य दिवस में ही लिये जा सकेंगे तथा निविदायें दिनांक 03 अगस्त 2019 को अपरान्ह 02.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी एवं निविदायें उसी दिन निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में संचालनालय की गठित समिति द्वारा सभा कक्ष में अपरान्ह 03.00 बजे खोली जायेगी । निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
2. प्रत्येक वाहन के लिए प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रू. 500/– रखा गया है। जिसकी राशि निविदा कर्ता को वापस नहीं की जाएगी।
3. विक्रय प्रपत्र संचालनालय के लेखाकक्ष में MPTC रसीद से रू. 500/– की राशि नकद जमा कर प्राप्त की जा सकती है।
4. यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त/खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी।
5. प्रत्येक वाहन के लिये राशि रूपये 5000/– (अक्षरी राशि रूपये पॉच हजार मात्र) की अमानत/धरोहर राशि निविदा के साथ प्रेषित की जायेगी। राशि बैंक ड्राफ्ट के जरिये संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश,मध्य प्रदेश के नाम से देय होगी। इस जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट केवल स्टेट बैंक इंडिया अथवा उक्त बैंक की स्थानीय शाखा के ही स्वीकार किये जायेंगे।
6. निविदा सीलबंद लिफाफे में ''संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश'' को संबोधित कर प्रस्तुत की जावेगी । लिफाफे के ऊपर '' वाहन क्रमांक– . . . . हेतु निविदा'' अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. क्रय किये जाने वाले वाहन की पूर्ण राशि जमा करते समय प्रतिभूमि की राशि समायोजित कर दी जायेगी। निविदा स्वीकार होने की स्थिति में संपूर्ण धनराशि का भुगतान सूचना के सात दिन के भीतर स्वीकृत निविदाकार को करना होगा अन्यथा प्रतिभूमि राशि राजसात कर ली जायेगी । निविदा राशि शब्दो व अंको में की जाना आवश्यक होगा। अपूर्ण निविदायें मान्य नहीं होगी।
8. वाहन जहॉ पर जैसी हालत में है, वहीं से उठाना होगा। निविदा राशि अंकों व शब्दों में अंकित करना होगा। राशि अंकन में किसी प्रकार का काट–छांट व सुधार होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
9. विक्रय किये जाने वाले वाहनों पर विक्रय कर देय नहीं होगा।
10. निविदा लिफाफे पर वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा। अपूर्ण आवेदन व निविदा फार्म मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में नीलामी के लिये गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा । अमानत की राशि नीलामी की कार्यवाही सम्पादित होने के पश्चात 07 दिन के भीतर प्राप्त करना होगी अन्यथा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी। वाहन उठाते समय नंबर प्लेट खोलकर ही दिया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृति पश्चात क्रेता को परिवहन विभाग से वाहन का नया पंजीयन क्रमांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन क्रमांक का प्रयोग क्रेता द्वारा नहीं किया जावेगा।
12. आवेदन का निर्धारित प्रारूप इस संचालनालय के क्रय किये गये निविदा फार्म पर ही मान्य होंगे।

(सी.के.साधव)
संयुक्त संचालक(स्था.)
वास्ते– संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल